विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 42 अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिसमें राशि ₹ 272.49 करोड़ अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2014-15 में ₹ 91,326.91 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2015-16 में ₹ 1,00,285.12 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 42,712.92 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹10,927.87 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 53,640.79 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियां ₹ 46,644.33 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का हिस्सा ₹ 27,915.93 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान ₹ 18,728.40 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2015 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 3,127 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,180.58 करोड़ राशि के 9,129 अनुच्छेद जून 2016 के अंत में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण पर' एक अनुच्छेद में निम्नलिखित पाया गया:

- विभाग में उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में नहीं लिये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 1.96 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 7.87 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.4)

- अन्य राज्यों के साथ सूचनायें साझा करने के तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 1.36 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 4.78 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.5)

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अनुसार अधिसूचना जारी किये जाने के बजाय वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के आधार पर भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जयपुर को कर में ₹ 83.65 करोड़ की अनियमित आंशिक छूट दी गयी।

(अनुच्छेद 2.5)

कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप माल यथा लीफ स्प्रिंग और 'ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स' की बिक्री पर कर राशि ₹ 1.11 करोड़ एवं ब्याज ₹ 40.39 लाख का कम आरोपण किया गया।

(अनुच्छेद 2.6.1 एवं 2.6.2)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत अधिक सब्सिडी प्रदान करने के परिणामस्वरूप वसूली योग्य ब्याज ₹ 1.33 करोड़ के अतिरिक्त सब्सिडी ₹ 2.95 करोड़ की अधिक स्वीकृति।

(अनुच्छेद 2.9)

कर निर्धारण प्राधिकारी, पांच व्यवहारियों पर घोषणा-प्रपत्रों के दुरूपयोग के लिए शास्ति ₹ 3.82 करोड़ आरोपित करने में असफल रहे।

(अनुच्छेद 2.14.1 एवं 2.14.2)

III. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

'माल वाहनों के संचालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर एक अनुच्छेद से निम्नलिखित प्रकट हुआः

- राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र परिमट धारित 3,36,675 वाहनों में से 22,439 वाहन अनुज्ञापत्र प्राधिकार-पत्र नवीनीकरण के बिना पाये गये। इन प्रकरणों में कम्पोजिट शुल्क और प्राधिकार शुल्क की राशि ₹ 38.32 करोड़ सन्निहित थी।

(अनुच्छेद 3.4.4.1)

- अवधि अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक के कर का भुगतान 1,579 भार वाहनों के मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कर व अधिभार राशि ₹ 3.63 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.4.5.1)

- विशेष श्रेणी के 765 भार वाहनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर व अधिभार राशि ₹ 2.85 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.4.5.2)

- वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध आंकडों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान परिवहन श्रेणी के अधीन 15 वर्षों में पंजीकृत 1,74,264 वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। राशि ₹ 1.74 करोड़ के राजस्व की वसूली पर निगरानी के अतिरिक्त वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के

साथ वाहनों के संचालन होने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और इस प्रकार सुरक्षा मापदण्डों से समझौता किया गया।

(अनुच्छेद 3.4.6)

- प्रवर्तन शाखा द्वारा जारी चालानों की निगरानी के लिये विभाग में कोई प्रणाली नहीं थी। इन कार्यालयों में इस उददेश्य के लिये कोई पंजिका का संधारण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4.7)

मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में वाहन मालिकों द्वारा विशेष पथकर एवं प्रभार विलम्ब से जमा कराने पर शास्ति ₹ 2.31 करोड़ की अवसूली/कम वसूली।

(अनुच्छेद 3.5)

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु 2,204 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथकर ₹ 8.04 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.6)

IV. भू-राजस्व

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को मेट्रो डेयरी की स्थापना के लिए गोविन्दगढ़-मलिकपुर मुख्य सड़क पर स्थित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से लगती हुई भूमि का आवंटन किया गया। विभाग ने भूमि की कीमत एवं लीज किराये की वसूली डीएलसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क से दूर स्थित असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित दर ₹ 9.14 लाख प्रति बीघा से की गयी जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य सड़क पर स्थित कृषि भूमि की दर ₹ 14.11 लाख प्रति बीघा थी। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत ₹ 3.92 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 4.4.2)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसिको) को इनलैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए 75 हेक्टेयर भूमि 99 वर्ष की लीज पर इस शर्त के साथ आवंटित की गयी थी कि डिपो की स्थापना लीज डीड जारी होने के दो वर्षों के भीतर करनी होगी। राजसिको द्वारा निर्धारित अवधि में ना तो डिपो की स्थापना की गयी ना ही समयावधि के विस्तार की कोई अनुमति दी गयी। तथापि प्राधिकारियों द्वारा भूमि को सरकार को प्रत्यावर्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.41 करोड़ मूल्य की भूमि अप्रत्यावर्तित रही।

(अनुच्छेद 4.5.2)

115 मामलों में कृषि भूमि बिना संपरिवर्तन अनुमति के अकृषि उददेश्यों हेतु उपयोग में ली गयी। विभाग ने 79 मामलों में प्रीमियम तथा चार गुना संपरिवर्तन शुल्क वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.66 करोड़ की अवसूली रही एवं 36 मामलों में संपरिवर्तन शुल्क राशि ₹ 90.56 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.7)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य समन्वय' पर एक अनुच्छेद मे निम्नलिखित कमियां पायी गयी ।

- 56 प्रकरणों में ₹ 1,121.69 करोड़ की अचल संपत्तियां साझेदारों के द्वारा साझेदारी फर्मों को पूंजी अंशदान के रूप में दी गई । तथापि, यह देखा गया कि इन साझेदारी विलेखों के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत दर के बजाय केवल ₹ 0.28 लाख की राशि मुद्रांक कर के रूप में भुगतान की गयी । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 67.30 करोड़ के मुद्रांक कर मय सरचार्ज की कम वसूली हुई ।

(अनुच्छेद 5.4.5.1)

- राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम द्वारा तीन भूखण्डों का विक्रय/आवंटन उद्यमियों को किया गया । इन भूखण्डों के आवंटन मूल्य ₹ 25.55 करोड़ पर मुद्रांक कर ₹ 1.53 करोड़ वसूली योग्य था । तथापि, भूखण्डों का कब्जा दिये जाने के बाद भी क्रेताओं द्वारा पट्टों का निष्पादन/पंजीयन नहीं कराया गया । रीको कार्यालयों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा पट्टों के निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही नही की गई और न ही कलेक्टर (मुद्रांक) को इन लेनदेनों के संबंध में सूचित किया गया ।

(अनुच्छेद 5.4.6.1)

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य ठेकेदारों/रियायतियों/सलाहकारों के मध्य निर्माण, उपयोग एवं हस्तान्तरण आधार पर वर्ष 2002 से 2015 के मध्य राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओ के लिए 15 रियायती अनुबन्ध किये गये थे । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रियायती अनुबंधों को न तो संबंधित उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) को मुद्रांक कर का आरोपण सुनिश्चित करने हेतु प्रति भेजी और न ही दस्तावेजों को जब्त किया । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर मय सरचार्ज राशि ₹ 36.48 करोड़ का कम आरोपण रहा ।

(अनुच्छेद 5.4.7)

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2010 में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन या पात्रता के अभाव के कारण लाभार्थी मुद्रांक कर एवं सरचार्ज राशि ₹ 1.46 करोड़ के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी थे ।

(अनुच्छेद 5.6)

यह पाया गया कि कृषि/वाणिज्यिक/औद्योगिक/आवासीय भूमि के 64 दस्तावेजों का पंजीयन विक्रय विलेख के रूप में हुआ । संबंधित उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण विभिन्न कारणों से कम दरों पर किया । अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 6.08 करोड़ का कम आरोपण हुआ ।

(अनुच्छेद 5.10)

VI. राज्य आबकारी

'**राज्य आबकारी अधिनियम के तहत बीयर/मदिरा के उत्पादन से सम्बद्ध डिस्टलरीज, ब्रेवरीज और बोटलिंग प्लांटस की कार्यप्रणाली**' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआः

- डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस जो कि देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से कर रहे थे पर देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क ₹ 2.15 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.4.7.2)

- प्रति क्विंटल अनाज से उत्पादित प्रासव की मात्रा के मापदण्डों के निर्धारण में विलम्ब के कारण विभाग को राजस्व ₹ 180.80 करोड़ से वंचित रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 6.4.7.3)

- डिस्टलरीज और बोटलिंग प्लांटस में प्रासव, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा का उत्पादन 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' में निर्धारित मात्रा से अधिक हुआ था। इकाईयों द्वारा दैनिक अधिक उत्पादन को नियमित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड अथवा विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गयी। विभाग दैनिक/वार्षिक निर्धारित क्षमता से ऊपर एवं अधिक अल्कोहल के उत्पादन को नियंत्रित करने में असफल रहा।

(अनुच्छेद 6.4.7.4)

- विभाग द्वारा एक बन्द इकाई के अंतिम स्टॉक के प्रासव/मदिरा के निस्तारण अथवा विक्रय की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष में राजस्व ₹ 2.98 करोड़ अवरूद्ध रहा।

(अनुच्छेद 6.4.7.10)

- आबकारी आयुक्त द्वारा गठित समिति की सिफारिश (जून 2014) के बावजूद विभाग द्वारा बीयर उत्पादन के मापदण्डों का निर्धारण नहीं किया गया (जुलाई 2016)।

(अनुच्छेद 6.4.8.1)

- विभाग ने ब्रेवरीज द्वारा ली गयी छीजत की प्रतिशतता में विभिन्नता एवं नियमों में निर्धारित छीजत की जांच नहीं की, जिसका कि सीधा प्रभाव उत्पादन आंकडों एवं राजस्व संग्रहण पर पड़ा।

(अनुच्छेद 6.4.8.2)

VII. कर-इतर प्राप्तियां

'राजस्थान में खानों का आवंटन' पर एक अनुच्छेद ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- 2012-15 के दौरान परिशोधित 71,688 आवेदनों में से 1,610 खनन पट्टे अनुदान किये गये । शेष आवेदन या तो अस्वीकृत हुए (55,238), अयोग्य हुए (13,977) या वापस लिये गये (863) । अयोग्य घोषित 13,977 आवेदनों में से 1,749 आवेदन नियमों में निर्धारित 12 माह के विपरीत पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे ।

(अनुच्छेद 7.4.8)

- 382 में से 315 प्रकरणों में आवेदनों को उनकी प्राप्ति की दिनांक यथा 'पहले आओ पहले पाओ' के अनुसार अंतिम रूप नहीं दिया गया । इनमें से 114 प्रकरणों में मानचित्रकार के स्तर पर प्राथमिकता खंडित की गयी ।

(अनुच्छेद 7.4.10)

- 382 में से 277 प्रकरणों में आवेदकों ने चेतना पत्रों के उत्तर विनिर्दिष्ट समय 30 दिन के अन्दर नहीं दिये । चेतना पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब की सीमा 1 तथा 1,967 दिन के मध्य थी । इसके उपरांत भी बिना किन्हीं कारणों को निर्दिष्ट किये पट्टे अनुदानित किये गये।

(अनुच्छेद 7.4.11.1)

- अनिवार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता की पूर्ति किये बिना आवेदकों को पट्टे अनुदानित किये गये । 32 प्रकरणों में आवेदन पत्रों तथा शपथ पत्रों पर किये गये हस्ताक्षर प्रस्तुत दस्तावेजों से मिलान नहीं करते थे । 29 प्रकरणों में, आवेदकों से भिन्न दो व्यक्तियों ने (एक व्यक्ति ने 14 प्रकरणों में तथा दूसरे व्यक्ति ने 15 प्रकरणों में) आवेदित क्षेत्र के संयुक्त सीमांकन में बिना किसी 'मुस्तारनामा' के भाग लिया । इसके अतिरिक्त खनि अभियंता, राजसमन्द-II द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु जारी किये गये 38 चेतना पत्रों में से 31 चेतना पत्रों को आवेदकों से भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया गया तथा 34 चेतना पत्रों के उत्तर आवेदक से भिन्न व्यक्तियों ने दिये ।

(अनुच्छेद 7.4.12)

- राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी व्यक्तियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों का अनुदान प्रतिबंधित (25 सितम्बर 1999) किया । प्रतिबंध 5 फरवरी 2008 से 3 जुलाई 2009 की अवधि के लिये वापस लिया गया । 16 आवेदकों ने 22 अप्रैल 2009 एवं 1 मई 2009 के मध्य खनन पट्टा के लिये आवेदन किया । सरकार ने निर्देशित किया (मार्च 2011) कि आदिवासी क्षेत्रों में अप्रधान खनिजों के नवीन खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जावेंगे तथा जिन प्रकरणों में 3 जुलाई 2009 से पहले मंशा-पत्र जारी किये जा चुके थे उनको सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिशोधित किया जा सकता था । तथापि खनि अभियंता, बांसवाड़ा ने इन 16 प्रकरणों को परिशोधित किया तथा मार्च 2012 में मंशा-पत्र जारी कर दिये ।

(अनुच्छेद 7.4.13)

- 53 प्रकरणों में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 9 सितम्बर 2013 के उल्लंघन में 17 सितम्बर 2013 एवं 18 अक्टूबर 2013 के मध्य अनुज्ञप्तिधारियों को अतिरिक्त स्ट्रीप के लिये स्वीकृतियां जारी की गयी ।

(अनुच्छेद 7.4.19)

पट्टा क्षेत्रों से उत्खनित खनिज की त्रुटिपूर्ण संगणना के कारण अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 10.93 करोड़ की मांग कायमी/वसूली नहीं करने के परिणामस्वरूप पट्टेधारियों को अदेय लाभ हुआ ।

(अनुच्छेद 7.5.1)

रिक्त पट्टी से अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 1.14 करोड़ की मांग कायमी/ वसूली नहीं करना ।

(अनुच्छेद 7.5.2)

अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क ₹ 8.67 करोड़ की कम वसूली हुई क्योंकि एक कम्पनी ने खनिज रॉक फॉस्फेट के निर्गमन पर नमी की मात्रा को घटाने के पश्चात अधिशुल्क का भुगतान किया जो नियमों के अनुसार नहीं था ।

(अनुच्छेद 7.6)

पट्टाधारी द्वारा उत्पादन को नहीं दर्शाने के कारण सह-युक्त खनिजों पर अधिशुल्क ₹ 1.38 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 7.7)